न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)
जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 371/2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 130/2026, आरक्षी केन्द्र पचपदरा,
CNR : RJBA010010322026

दशरथ उर्फ भाउ पुत्र सिमरथाराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी खेमसिद्ध नगर, विष्णुनगर असाड़ा, पुलिस थाना जसोल, जिला बालोतरा।

– प्रार्थी/अभियुक्त

विरुद्ध

राजस्थान राज्य।

– अप्रार्थी

जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130/2026, पुलिस थाना पचपदरा, अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 182(2), 117(2), 120(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, 2023

उपस्थित :–

1. श्री कौशल कुमार, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 09.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया और बहस जमानत सुनी ।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रार्थी निर्दोष है। परिवादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज करवाया है । वास्तविकता यह है कि परिवादी रिफायनरी में

ठेकेदार है तथा प्रार्थी उक्त परिवादी का ठेकेदार है जिनके मध्य रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद होने पर परिवादी ने झूठे तथ्यों के आधार पर यह प्रकरण दर्ज करवाया है ।

3. यह भी तर्क दिया कि प्रथम दृष्टया धारा 120(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध नहीं बनता है तथा शेष सभी धाराएं जमानतीय अपराध से संबंधित हैं । केवल मात्र प्रार्थी को गिरफ्तार करवाये जाने उद्देश्य से धारा 120(2) भारतीय न्याय संहिता जोड़ी गई है जबकि प्रार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से भी संस्वीकृति उद्घापित करने या विविश करके संपत्ति वापस करने हेतु उपहति या घोर उपहति कारित करने का आरोप नहीं है ।

4. यह भी तर्क दिया कि प्रार्थी दिनांक 18.06.2026 से अभिरक्षा में है । प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थी के विरुद्ध इस प्रकरण के अतिरिक्त एक अन्य प्ररकण दर्ज होकर लंबित हैं । प्रार्थी के विरुद्ध गंभीर अपराध का आरोप है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	थाना	चालान नं.	वर्तमान स्थिति
1	397/05.09.2015	147, 341, 323, 325, 302, 307, 392 भादसं व 3(5)वी एससी एसटी एक्ट	बालोतरा	256/04.11.2015	जैर ट्रायल

7. उभय पक्षकारान् की ओर से दिये गये तर्कों को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थी के विरुद्ध यह आरोप है कि परिवादी की ESTA GLOBAL ENGINEERINGPVT LTD के नाम से फर्म है जिसने पचपदरा में स्थित मेगा कंपनी से मैकेनिकल, पेंटिंग व ब्लास्टिंग का कार्य ले रखा है । प्रार्थी ने परिवादी को उसकी फर्म में काम देने हेतु कहा तब परिवादी ने उसके पास काम नहीं होना बताया जिस पर प्रार्थी नाराज हो गया एवं परिवादी को मारने की धमकियां देने लगा । दिनांक 01.06.2026 को सुबह 8:00–08:30 बजे के बीच में परिवादी व उसके सुपरवाईजर

विवेक कुमार सिंह पचपदरा से रिफाईनरी की तरफ जा रहे थे। उस समय प्रार्थी व अन्य 7–8 व्यक्तियों ने वाहनों से नीचे उतरकर परिवादी के साथ मारपीट की, उसकी पहनने की घड़ी व मोबाईल छीन लिया एवं गाड़ी के साथ तोड़–फोड़ की। केस डायरी पर आहत इसाक्की मुथु व विवेक कुमार सिंह के चोट प्रतिवेदनों के अवलोकन से इसाक्की मुथु के शरीर पर 4 साधारण चोटें तथा विवेक कुमार सिंह के 5 चोटें जिनमें से बायें पैर की एक चोट हड्डी का अस्थिभंग होकर गंभीर प्रकृति की बताई है। प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराधों में धारा 120(2) भारतीय न्याय संहिता के अलावा समस्त धाराएं जमानतीय अपराध से संबंधित है। प्रार्थी के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। प्रार्थी दिनांक 18.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में अभी समय लगने की संभावना है । इन तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुणावगुण पर कोई राय व्यक्त किए बिना प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त दशरथ उर्फ भाउ की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं पच्चीस हजार रुपये जमानत अधिनस्थ न्यायालय के सन्तोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाए, तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए ।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

9. आदेश आज दिनांक 09.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(एम.आर.सुथार)
सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

HITESH MANGNANI
Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by HITESH MANGNANI
Date: 2026.07.10 10:03:31 +0530